निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के नियम–17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत

कार्यालय–मुख्य शिक्षा अधिकारी,नैनीताल

पत्रांक–मान्यता (आर0टी0ई0)/ 7825–27 /अंग्रेजी नवीनीकरण/2020–21 दिं0–01.03.2021

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य,
जी0डी0जै0 पब्लिक स्कूल नया गांव कटान चोरगलिया,
(हल्द्वानी,)नैनीताल।
कोड संख्या–

विषय– **निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम'17 के उप नियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।**

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक वैय0अ0/140–42/मान्यता/2012–13 दिनांक–04.04.2012 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु दिं0 05.04.2012 से दिं0 05.04.2015 तक प्रख्यापित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो के अधीन नवीन औपबन्धिक मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके स्वघोषणा प्रपत्र एंव खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक 01.02.2016 व संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय जी0डी0जै0 पब्लिक स्कूल नया गांव कटान चोरगलिया, नैनीताल को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु दिं0 05.04.2015 से दिनांक–05.04.2020 तक नवीनीकृत हेतु की गयी स्वीकृति का खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति एंव दी गयी निरीक्षण आख्या दिं0 20.10.2020 के अनुसार दिं0 01.04.2020 से दिं0 31.05.2025 तक के लिए नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्ते इस कार्यालय के पत्रांक–140–42/मान्यता /2012–13 दिनांक– 04.04.2012 द्वारा दी गयी औपबन्धिक मान्यता नवीन के अधीन एंव परिशिष्ठ–4 के शर्तो के रूप में रहेंगी।

01.मान्यता किसी भी परिस्थति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

02.विद्यालय निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एंव बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

03.विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर एंव शिक्षा से वचित समुदाय के बच्चों का करेगा ताा उन्हें निःशुल्क एंव अनिवार्य प्ररम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है ते इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04.उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05.संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

06.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र,नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

07.विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।